(12)

(45)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2004/वैशाख 2, 1926
No. 73] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2004/VAISAKHA 2, 1926

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004

राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड (एनईआरएलबी) के सृजन के लिए विनियम

सं. एफ. क्यू. ए./ईंजी-रेग्यू/051/2002.—अभातशिप अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 खंड (द) और (फ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभातशिप मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से "राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड" (एनईआरएलबी) के सृजन के लिए एतद्द्वारा यह विनियम बनाती है।

उद्देशिका :—

भारत में आयुर्विज्ञान एवं शल्य-चिकित्सा, भेषजी, वास्तुकला तथा विधि आदि सभी व्यवसाय प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए विधि द्वारा विनियमित हैं। बढ़ते हुए वैश्वीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के साथ ऐसी चुनौतियों के परिणामस्वरूप, जिनका सामना भारतीय इंजीनियरों को निकट भविष्य में विश्वस्तर पर करना पड़ेगा, इंजीनियरी व्यवसाय के क्षेत्र में समुचित विनियम तैयार करना अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय संदर्भ में भी, इंजीनियरी व्यवसाय में गुणवत्ता, कार्यकुशलता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा ही कदम उठाया जाना लाभप्रद होगा।

अभातशिप ने राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) के माध्यम से इंजीनियरी शिक्षा कार्यक्रमों के प्रत्यायन का उत्तरदायित्व पहले ही संभाल लिया है। रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन अभातशिप द्वारा पहले ही निर्वाह किए जा रहे कृत्यों का औचित्यपूर्ण विस्तारण है।

उद्देश्य :—

1. एनईआरएलबी सृजित करने का प्रधान उद्देश्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं के इंजीनियरी स्नातकों के लिए रजिस्ट्रीकरण उपलब्ध कराना एवं देश में इंजीनियरी व्यवसाय की प्रैक्टिस में सदाचार तथा कार्यकुशलता के स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से व्यवसाय की प्रैक्टिस के लिए भारत में इच्छुक इंजीनियरों को अनुज्ञप्ति जारी करना है।

2. उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् इंजीनियरों/वृत्तिक इंजीनियरों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड (एनईआरएलबी) की स्थापना करेगी।

एनईआरएलबी के प्रमुख कृत्य :—

उपर्युक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए एनईआरएलबी निम्नलिखित कार्यकलापों को क्रियान्वित करेगी :

1. इंजीनियरों का रजिस्ट्रीकरण (विषयक्षेत्रों एवं स्तरों का निर्णय एनईआरएलबी द्वारा किया जाएगा)।

2. इंजीनियरों का अनुज्ञापन (विषयक्षेत्रों एवं स्तरों का निर्णय एनईआरएलबी द्वारा किया जाएगा)।
3. भारत में इंजीनियरी व्यवसाय का विकास।
4. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फोरमों पर भारतीय इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व।
5. रजिस्ट्रीकृत इंजीनियरों के डाटाबेस का सृजन।
6. भारतीय इंजीनियरों को अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता उपलब्ध कराना।
7. नीति से संबंधित मामलों पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना।
8. भारतीय इंजीनियरों के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही स्तरों पर अवसरों की पहचान करने के लिए शोध एवं अन्वेषण संचालित करना।

एनईआरएलबी के सामान्य कृत्य :—

1. इंजीनियरी वृत्तिकों के ज्ञान एवं कौशल संबंधी मानकों को स्थापित करना, उन्हें बनाए रखना और विकसित करना।
2. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकीय ज्ञान में प्रगति का विकास करना व उसकी साझेदारी करना।
3. समाज के हित को बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरी कौशल का विकास करना।
4. इंजीनियरी व्यवसाय का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना।
5. श्रेष्ठ इंजीनियरी पद्धतियों के विकास एवं उसे मान्यता प्रदान करने के लिए योगदान देना।
6. इंजीनियरी व्यवसाय की प्रदर्शित सक्षमता को मान्यता देना और समर्थन प्रदान करना।
7. इंजीनियरों को उनके कैरियर विकास में सहयोग प्रदान करना।
8. समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योगदान देना।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अभातशिप (राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड) विनियम, 2004 होगा।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा समूचे देश में लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अभातशिप'' से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम की धारा 2 (ख) की परिभाषा भीतर ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' जिसकी स्थापना अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन हुई थी।

(ख) ''एनबीए'' से अभिप्रेत है ''राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल,'' जिसकी स्थापना परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 10 (प) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत की गई थी।

(ग) ''एनईआरएलबी'' से अभिप्रेत है ''राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड,'' जिसकी स्थापना परिषद् द्वारा इन विनियम, 2004 अर्थात् अभातशिप (राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड) विनियम, 2004 के माध्यम से की गई थी।

(घ) ''इंजीनियरी स्नातक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने विधि के अधीन स्थापित तथा यूजीसी अथवा अन्य किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् रूप से मान्यताप्राप्त किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

(ङ) ''रजिस्ट्रीकृत इंजीनियर'' से ऐसा इंजीनियरी स्नातक अभिप्रेत है जो विनियम, 2004 के उपबंधों के अधीन स्थापित ''एनईआरएलबी'' अथवा संबंधित क्षेत्रीय समिति के ''सचिव सह रजिस्ट्रार'' द्वारा रखी गई किसी नामावली/रजिस्टर में प्रविष्ट है।

(च) ''इंजीनियरी व्यवसाय की प्रैक्टिस'' से ऐसा इंजीनियर अभिप्रेत है जिसने स्वयं को एक ''रजिस्ट्रीकृत इंजीनियर'' के रूप में ''एनईआरएलबी'' के ''सचिव सह रजिस्ट्रार'' के पास रजिस्ट्रीकृत करवा लिया है तथा जो इंजीनियरी के संबंधित क्षेत्र में विशेष जानकारी के प्रयोग द्वारा पर्याप्त कार्य-निष्पादन के साथ व्यवसाय, परामर्श/विशेषज्ञता एवं सृजनात्मक कार्य में लगा हुआ है।

(छ) ''परामर्श बोर्ड'' से अभिप्रेत है ''एनईआरएलबी'' द्वारा नियुक्त ऐसी समिति/उप समिति जो दस्तावेजों के सत्यापन, संवीक्षा के लिए

तथा इंजीनियरों के रजिस्ट्रीकरण के मामलों में [illegible] परामर्श देने के लिए संख्या में 5 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी हो।

3. **प्रयोज्यता :—**

भारत के सभी नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने और/अथवा भारत में इंजीनियरी व्यवसाय, चाहे एक कर्मचारी के रूप में, परामर्शक/विशेषज्ञ के रूप में अथवा अनुसूची I और II में अधिसूचित विषयक्षेत्रों में स्वतन्त्र वृत्तिक इंजीनियर के बतौर प्रैक्टिस करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एक इंजीनियर के रूप में रजिस्टर होना चाहते हैं।

4. **एनईआरएलबी का गठन :—**

(1) अभातशिप इंजीनियरों के रजिस्ट्रीकरण और/अथवा अनुज्ञापन तथा उससे संसक्त सभी मामलों के प्रयोजन के लिए "राष्ट्रीय इंजीनियर रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन बोर्ड" का गठन करेगी।

(2) एनईआरएलबी का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा तथा आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालय तत्पश्चात् स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान प्रयोजन के लिए एनईआरएलबी के सात क्षेत्रीय कार्यालय उन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जहां अभातशिप के क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

5. **शासी निकाय :—**

एनईआरएलबी को 31 सदस्यों वाले एक शासी निकाय द्वारा विनियमित किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	संघटन	संख्या	टिप्पणियां
1.	अध्यक्ष, एनईआरएलबी	1	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	1	संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे नहीं
3.	केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि	4	संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे नहीं
4.	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1	पदेन
5.	सदस्य सचिव, अभातशिप	1	पदेन
6.	सीओए/भारतीय भेषजी परिषद् का अध्यक्ष	1	पदेन
7.	अध्यक्ष, एनबीए	1	पदेन
8.	अभातशिप की कार्यकारिणी समिति के प्रतिनिधि	2	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किए जाएंगे
9.	एनईआरएलबी की क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष के प्रतिनिधि	2	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किए जाएंगे
10.	विशिष्ट इंजीनियरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं एफआईसीसीआई, एएसएसओसीएएम, सीआईएल जैसे व्यापार/उद्योग संघों के सदस्य	3	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किए जाएंगे
11.	तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षाविद	2	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किए जाएंगे
12.	इंजीनियरों के निम्नलिखित व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि :		संबंधित सोसाइटियों द्वारा नामित किए जाएंगे
	(क) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (आई)	2	
	(ख) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी	1	
	(ग) अन्य	4	
13.	भारत के राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि	4	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किए जाएंगे परन्तु एक क्षेत्र से एक से अधिक नहीं
14.	सचिव सह रजिस्ट्रार	1	पदेन, सदस्य सचिव।

6. **शासी निकाय के पद की अवधि :—**

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों, पदेन सदस्यों को छोड़कर के पद की अवधि तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होगी।

7. **सरकार के नामिती/सदस्यों की नियुक्ति का तरीका :—**

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूची III में से चक्रानुक्रम आधार पर सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(ii) अध्यक्ष, अभातशिप प्रत्येक क्षेत्र से एक राज्य को उसके राज्य में से एनईआरएलबी का सदस्य बनने के लिए एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए, जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, आमंत्रित करेगा।

(iii) एनईआरएलबी में नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को सात क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

8. **एनईआरएलबी की शक्तियां :—**

(i) एनईआरएलबी उन कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति अथवा ऐसी अन्य समुचित समिति अथवा समितियां गठित करेगा, जो उसे एनईआरएलबी द्वारा सौंपे जाएं।

(ii) एनईआरएलबी की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार 7 सदस्यों से मिलकर बनेगी :

(क)	अध्यक्ष, एनईआरएलबी	1
(ख)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	1
(ग)	सदस्य सचिव, अभातशिप	1
(घ)	अध्यक्ष, एनबीए	1
(ङ)	वृत्तिक सोसाइटियों का प्रतिनिधि	1
(च)	राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधि	1
(छ)	सचिव सह रजिस्ट्रार, एनईआरएलबी	1

कार्यकारिणी समिति एनईआरएलबी के साथ सहविस्तारी होगी।

(iii) एनईआरएलबी द्वारा गठित अन्य समितियों में 3 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।

(iv) एनईआरएलबी क्षेत्रीय स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित विषयक्षेत्रों में समुचित समितियां भी गठित कर सकेगा :

(क) रजिस्ट्रीकरण।

(ख) विभिन्न स्तरों पर अनुज्ञापन।

(ग) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन के विभिन्न स्तरों के लिए शैक्षणिक अपेक्षाओं एवं पाठ्यचर्या का सत्यापन।

(घ) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन के विभिन्न स्तरों के लिए अनुभव संबंधी आवश्यकताएं।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन के विभिन्न स्तरों के लिए प्रक्रियाओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं।

(च) रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन के प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया।

(छ) इंजीनियरी व्यवसाय करने के लिए वृत्तिक सदाचार संहिता।

(ज) शिकायतों की जांच।

(झ) अनुशासनिक मामलों की जांच-पड़ताल।

(ञ) वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस की मध्यस्थता।

(ट) प्रधान उद्देश्य से संबंधित अन्य कोई विषय।

(v) एनईआरएलबी उपर्युक्त कार्यकलापों को मॉनीटर तथा निष्पादित करने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, उप-समितियां भी गठित कर सकेगा।

(vi) एनईआरएलबी की अपनी क्षेत्रीय समितियां भी होंगी जिनका गठन निम्नानुसार किया जाएगा :

क्रम संख्या	संघटन	संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4
i	अध्यक्ष	1	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किया जाएगा।
ii.	क्षेत्र के व्यावसायिक निकायों तथा औद्योगिक एसोसिएशनों एवं सोसाइटियों से नामांकन	3	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किये जाएंगे।

1	2	3	4
iii.	राज्य सरकार का प्रतिनिधि		प्रत्येक राज्य से एक
iv.	क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	1	अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित किया जाएगा।
v.	क्षेत्रीय सचिव सह रजिस्ट्रार	1	पदेन

(vii) एनईआरएलबी के पास विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने तथा पद्धतियां एवं विनियम निर्धारित करने की शक्तियां होंगी जिनमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं :

1. समितियां, उप-समितियां और क्षेत्रीय समितियां गठित करना।
2. रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए रजिस्टरों का रख-रखाव।
3. आचरण एवं सदाचार संहिता।
4. वृत्तिक परीक्षाएं।
5. अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ पारस्परिक व्यवस्था।
6. अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा उसका नवीकरण।
7. एनईआरएलबी कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें।
8. एनईआरएलबी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य मद।
9. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता और शर्तें।

अनुसूची-I

इंजीनियरों के रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन के लिए तकनीकी विषयक्षेत्र एवं विषय

क्रम संख्या	तकनीकी विषयक्षेत्र	विषय
1	2	3
1.	यांत्रिक इंजीनियरी	यांत्रिक प्रोसेसिंग एवं प्रोसेसिंग
		मशीनरी
		प्राइम मूवर
		प्रिसिशन मशीनरी
		रेलरोड वाहन एवं ऑटोमोबाइल
		रासायनिक मशीनरी
		हाइड्रॉलिक मशीनरी
		निर्माण, खनन, लोडिंग एवं कैरियर मशीनरी
		औद्योगिक मशीनरी, एयर-कंडीशनिंग एवं रेफ्रीजेशन उपस्कर
		मशीन उपस्कर
2.	एरोस्पेस इंजीनियरी	एयर क्राफ्ट बॉडी
		नेवीगेशन सहयोग सुविधाएं
		अंतरिक्ष पर्यावरण उपयोग
3.	विद्युत, इंलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत संचार	जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसफार्मेशन
		इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन
		इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन
		इंफो-कम्यूनिकेशन
		इलेक्ट्रिक सुविधाएं
4.	रसायन इंजीनियरी/रसायन प्रौद्योगिकी	मृत्तिका एवं अकार्बनिक रसायन उत्पाद
		कार्बनिक रसायन उत्पाद
		ईंधन एवं स्नेहक
		पॉलीमर उत्पाद
		रासायनिक उपस्कर एवं सुविधाएं

1	2	3
5.	वस्त्र	कैमिकल स्पिनिंग, थ्रेड मेकिंग, यांत्रिक स्पिनिंग एवं वस्त्र विनिर्माण, डाइंग एवं फिनिशिंग सिलाई
6.	धातुएं	लौह एवं इस्पात विनिर्माण प्रणाली नॉन-फेरेस धातु विनिर्माण प्रणाली मैटालिक पदार्थ सरफेस प्रौद्योगिकियां मैटल वर्किंग
7.	खनन	धातु एवं गैर-धातु खनन कोयला, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस खनन
8.	सिविल इंजीनियरी	मृदा, गुणवत्ता एवं फाउंडेशन, इस्पात संरचना एवं कंक्रीट, शहरी एवं ग्रामीण आयोजना नदी, भूक्षरण, नियंत्रण एवं समुद्रतट बंदरगाह एवं हवाई अड्डे कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी सड़क रेल रोड टनल निर्माण आयोजना, निर्माण उपस्कर एवं एकीकरण निर्माण पर्यावरण
9.	जलापूर्ति एवं मल-व्ययन	शहर जल एव औद्योगिक जल आपूर्ति मल-व्ययन जल सेवा पर्यावरण
10.	पर्यावरण इंजीनियरी	जल गुणवत्ता नियंत्रण अपशिष्ट निपटान एयर कंडीशनिंग सुविधाएं वास्तुकला पर्यावरणीय सुविधाएं अपशिष्ट प्रबंधन
11.	सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रणाली सूचना गणित एवं जानकारी प्रोसेसिंग सूचना अनुप्रयोग कम्प्यूटर प्रणाली

अनुसूची-II

एनईआरएलए के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों की सूची

(क)	रेल	(म)	योजना आयोग	(द)	पोत परिवहन
(ख)	दूरसंचार	(ट)	वाणिज्य	(ध)	परमाणु उर्जा
(ग)	सड़क परिवहन	(ठ)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	(न)	अंतरिक्ष
(घ)	शहरी विकास	(ड)	जल संसाधन	(प)	ऐसे अन्य नामांकन, जो विनिर्णित किए जाएं
(ङ)	रक्षा	(ढ)	विद्युत		
(च)	पैट्रोलियम	(ण)	भारी उद्योग		
(छ)	उद्योग	(त)	नागर विमानन		
(ज)	कृषि	(थ)	सूचना प्रौद्योगिकी		

प्रो. के सुब्रमणियन, सलाहकार (प्रशासन)

[विज्ञापन III/IV/162/2004/असधा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2004

Regulations for Creation of National Engineers Registration and Licencing Board (NERLB)

No. F. QA/ENGRS-REGN/051/2002.—In exercise of the powers conferred under clause (r) and (v) of Section 10 of the AICTE Act, 1987 (52 of 1987) read with Section 23 (1) of the Act, the AICTE hereby makes these regulations, with the approval of the MHRD, Government of India for Creation of 'National Engineers Registration and Licensing Board' (NERLB).

PREAMBLE :

The professions of medicine and surgery, pharmacy, architecture and law, in India, are all regulated by law for effective functioning. With the increasing globalization and competitiveness, framing of appropriate regulations in the field of Engineering profession has become imperative on account of challenges, which the Indian engineers will have to encounter globally in the near future. In the National context also, such a step would be useful to ensure quality, efficiency and transparency in engineering profession.

AICTE has already undertaken with the responsibility of accreditation of engineering educational programs through National Board of Accreditation (NBA). Registration and Licensing is a logical extension of the tasks already being carried out by the AICTE.

OBJECTIVES :

1. The principal object to create NERLB is for providing registration to the Engineering graduates from the recognized institutions and to issue licenses for the practice of profession to the desiring engineers in India with a view to enhance the level of proficiency and ethics in the practice of Engineering profession in the country.

2. For the purpose of carrying out the above object, the council will establish National Engineers' Registration and Licensing Board (NERLB) in order to streamline the process of the registration of engineers / professional engineers and related matters.

PRINCIPLE FUNCTIONS OF NERLB :

NERLB shall carry out the following activities in furtherance of the above object :

1. Registration of Engineers (disciplines and the levels to be decided by NERLB)
2. Licensing of Engineers (disciplines and the levels to be decided by NERLB)
3. Development of the profession of engineering in India
4. Representation of Indian engineers at national and international forum.
5. Creation of database of registered engineers.
6. Facilitation of international mobility of Indian engineers.

7. Advising the Government of India and the State Governments on policy related issues.

8. Conducting research and investigation on identifying opportunities for the Indian engineers, both in domestic and international markets.

GENERAL FUNCTIONS OF NERLB :

1. To establish, maintain and develop standards of knowledge and skills of practitioners of engineering.
2. To develop and share advances in engineering and technological knowledge.
3. To develop engineering skills to improve the well being of society.
4. To represent the engineering profession at national and international levels.
5. To contribute to the development and recognition of good engineering practices.
6. To recognize and to support those demonstrating competence in engineering profession.
7. To support engineers in their career developments.
8. To contribute to meet the needs of the community.

1. Short Title and Commencement

i. These Regulations may be called the AICTE (National Engineers Registration and Licensing Board) Regulations, 2004.

ii. These regulations shall come in force on the date of publication of the same in the Gazette of India and are applicable through out the country.

2. Definitions

Unless the context otherwise requires

a) "AICTE" means the ' All India Council for Technical Education ' established under section 3 of the AICTE Act, 1987 and within the definition of Sec. 2 (b) of the AICTE Act.

b) "NBA" means the ' National Board of Accreditation ', set up by the Council within the powers conferred under Sec. 10 (u) of the AICTE Act, 1987.

c) "NERLB" means the ' National Engineers Registration and Licensing Board', established by the Council, through these Regulations, 2004 namely AICTE (National Engineers Registration and Licensing Board) Regulation, 2004.

d) "Engineering graduate" means a person who has obtained a bachelors degree in engineering from any Indian University established under law and duly recognised by the UGC or any other recognised University.

e) "Registered Engineer" means an engineering graduate who entered in any roll / register maintained by the ' Secretary cum Registrar ' of "NERLB" or the Regional Committee concerned, established under the provisions of the Regulations, 2004.

f) "Practice of Profession of Engineering" means any engineer, who registered himself / herself with the ' Secretary cum Registrar ' of "NERLB" as a 'registered engineer' and involved in the occupation, consultancy / expertise and creative work with adequate performance by application of special knowledge in the concerned field of engineering.

g) 'Advisory Board' means a Committee / Sub-Committee appointed by the 'NERLB' consisting of members not less than 5 in number for verification, scrutiny of the documents and advise the Registrar cum Secretary in the matters of registration of engineers.

3. **Applicability**

All citizens of India or foreigners who want to register as an engineer for the purpose of seeking employment and /or License to practice the profession of engineering in India either as an employee, a consultant/expert or as an independent practicing engineer in disciplines notified in Schedule I and II.

4. **Constitution of NERLB**

i. AICTE shall constitute National Engineers Registration and Licensing Board for the purpose of registration and / or licensing of engineers and all matters connected therewith.

ii. The Head office of the NERLB shall be at Delhi and the Regional offices as desired will be established subsequently. For the present purpose seven regional offices of NERLB will be established at places where AICTE Regional Offices are already functioning.

5. **Governing Body :**

The NERLB would be governed by a Governing Body of 31 members as per details given below :

S.No	Composition	Nos.	Remarks
1.	Chairman, NERLB	1	To be appointed by Chairman, AICTE
2.	Representative of the MHRD, GOI	1	Not below the rank of Joint Secretary

3.	Representatives of the Ministries of the Central Government	4	Not below the rank of J at Secretary
4.	Secretary, University Grants Commission	1	Ex officio
5.	Member Secretary, AICTE	1	Ex officio
6.	Chairman COA/Pharmacy Council of India	1	Ex officio
7.	Chairman, NBA	1	Ex officio
8.	Representatives of EC of AICTE	2	To be nominated by Chairman, AICTE
9.	Representatives of Chairman Regional Committees of NERLB	2	To be nominated by Chairman, AICTE
10.	Representatives of distinguished Engg. & Members of the trade/industry Association like FICCI, ASSOCAM, CIL etc.	3	To be nominated by Chairman, AICTE
11.	Distinguished Academicians in the filed of Technical Education	2	To be nominated by Chairman, AICTE
12.	Representatives from the following professional Bodies of engineers a) Institution of Engineers (I) b) Indian Society for Technical Education c) Others	 2 1 4	To be nominated by respective societies
13.	Representatives of States and Union Territories of India	4	To be nominated by Chairman, AICTE but not more than on from a region
14.	Secretary cum Registrar	1	Ex officio, Member Secretary

6. **Tenure of Office of Governing Body :**

The term of office of the Chairman and the member other than an ex-officio member shall be for a minimum period of three years.

7. **Mode of Appointment of Government Nominee / Members :**

i. MHRD, Govt. of India will appoint members to represent the different Ministries from the Central Government by rotation from Schedule III.

ii. The Chairman, AICTE by rotation will invite one State from each region to nominate a Member, not below the rank of Chief Engineer, from its State to be a Member of NERLB.

iii. For the purpose of nomination to the NERLB, the States and Union Territories will be grouped in the seven regions as specified by AICTE for administration purposes.

8. **Powers of NERLB :**

i. NERLB shall constitute an High Power Standing Committee or any such appropriate Committee or Committees for the efficient discharge of functions as may be assigned to it by the NERLB.

ii. The Executive Committee of NERLB shall consist of 7 Members as under :

a. Chairman, NERLB	-	1
b. Representative of Ministry of HRD, GOI	-	1
c. MS, AICTE	-	1
d. Chairman, NBA	-	1
e. Representative of Professional societies	-	1
f. Representative of States and Union Territories	-	1
g. Secretary cum Registrar, NERLB	-	1

The EC shall be coterminous with NERLB

iii. The other Committees constituted by NERLB should not be less than 3 Members.

iv. NERLB shall also constitute appropriate Committees at Regional Level and National Level in the following Disciplines :

a. Registration.
b. Licensing at different levels.
c. Verification of academic requirements and syllabus for various levels of Registration and Licensing.
d. Experience requirements for various levels of Registration and Licensing.
e. Examination and Assessment processes for various levels of Registration and Licensing.
f. Process of issuance of certificates of Registration and Licensing.
g. Code of professional ethics for practicing Engineers.
h. Examination of complaints.
i. Investigation of disciplinary matters.
j. Mediation of fees for professional services.
k. Any other matter related to principal object

v. NERLB may also appoint Sub committees, if necessary, to monitor and execute the above activities

vi. NERLB will have its Regional Committees which will be constituted as under:

S.No	Composition	Nos.	Remarks
i)	Chairman	1	To be nominated by Chairman, AICTE
ii)	Nomination from professional bodies and industrial associations and societies of the region	3	To be nominated by Chairman, AICTE

iii)	Representative of State Government		One from each State
iv)	Distinguished Academician from the region	1	To be nominated by Chairman, AICTE
v)	Regional Secretary cum Registrar	1	Ex officio

viii. NERLB shall have the powers to formulate guidelines and lay down procedures regulations for carrying out various tasks including the following:

1. Setting up of Committees, Sub-Committees and Regional Committees.
2. Maintenance of registers for registration and licensing.
3. Code of conduct and ethics.
4. Professional examinations.
5. Reciprocal arrangement with international bodies.
6. Registration and award of licence and their renewal
7. Service conditions for employees of NERLB.
8. Any other item as approved by NERLB.
9. Fee for Registration
10. Qualification and conditions for Registration

Schedule –I

Technical Disciplines and Subjects for Registration and Licensing of Engineers

S. No.	TECHNICAL DISCIPLINES	SUBJECTS
1.	Mechanical Engineering	Mechanical Processing and Processing Machinery Prime Mover Precision Machinery Railroad Vehicle & Automobile Chemical Machinery Hydraulic Machinery Construction, Mining, Loading & Carrier Machinery Industrial Machinery, Air-conditioning & Refrigeration equipment Machine Equipment
2.	Aerospace Engineering	Air Craft body Navigation support facilities Space environment utilization

3.	Electrics, Electronics & Electrical Communication	Generation, Transmission, Distribution and Transformation Electric application Electronic application Info-Communication Electric Facilities
4.	Chemical Engineering / Chemical Technology	Ceramics & Inorganic Chemical Products Organic Chemical Products Fuel & Lubricant Oil Polymer Products Chemical Equipment & Facilities
5.	Textile	Chemical Spinning, Thread Making, Mechanical Spinning& Fabric Manufacturing, Dying & Finishing Sewing
6.	Metals	Iron & Steel Manufacturing System Nonferrous Metals manufacturing System Metallic Materials Surface Technologies Metal Working
7.	Mining	Metals & Nonmetals mining Coal, Petroleum & Natural Gas mining
8.	Civil Engineering	Soil, Quality and Foundation, Steel Structure and Concrete, Urban & Rural Planning River, Erosion, Control & Seashore Harbor & Airport Construction for Electricity Road Rail road Tunnel Construction Planning, Construction Equipment & Integration Construction Environment
9.	Water Supply & Sewerage	City water & industrial water supply Sewerage Water Service environment
10.	Environment Engineering	Water quality Control Waste Disposal Air Conditioning Facilities Architecture environmental Facilities Waste Management

11.	Information Technologies	Information System Information Mathematics & Knowledge Processing Information Application, Computer System

Schedule – II

List of Union Ministries for the purpose of nomination on NERLA

a) Railways
b) Telecommunication
c) Surface Transport
d) Urban development
e) Defence
f) Petroleum
g) Industries
h) Agriculture
i) Planning Commission
j) Commerce
k) Science and Technology
l) Water Resources
m) Power
n) Heavy Industry
o) Civil Aviation
p) Information Technology
q) Shipping
r) Atomic Energy
s) Space
t) any such other nominations, as may be decided

Prof. K. SUBRAMANIAN, ADVISER (ADMN.)

[ADVT. III/IV/162/2004/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(1) If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Council.

(2) The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these Regulations.

(10) Power of relax:

The Council may, for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of institutions.

(11) Withdrawal of approval: -

If any technical institution contravenes any of the provisions of these Regulations, the Council may, after making such inquiry, as it may consider appropriate and after giving the technical institution concerned an opportunity of being heard, withdraw the approval granted under these Regulations.

ANURADHA GUPTA IAS
Member Secretary

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi-110058, the 31st December 2004

No. 20-5/2002-C.R. Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section(1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Haryana and who possess any of the medical qualification recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Haryana) from January 2000 to March 2001 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P.R. SHARMA
Registrar